

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर को वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष पालिका में वर्ष 2017-18 में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न निर्माण कार्यों के दो लिफाफा प्रणाली(प्रथम लिफाफा-तकनीकी एवं हितीय लिफाफा वित्तीय)के तहत शीलबन्द निविदाये उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक 31.1.18 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमत्रित की जाती है। निविदा इसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी तथा निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.1.18 को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। निकिटा से सम्बन्धित अन्य शर्त टेण्डर फार्म के साथ सलान की गई है। साथ ही जनपद की बैंकसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

क्र	कार्य का नाम	स्थीकृत राशि (लाखरु)	जमानत राशि	निविदा मूल्य + वैट	कार्यपूर्ण करने की अपव्य	निविदा कैबिटा तिथि
1	खीलों में मुख्य सड़क से श्री सज्य सिंह पवार की मकान तक मार्ग निर्माण	3.88	20000.00	50.16GST	2 माह	45 दिन
2	पाडुली में बगड़वाल चौक सौन्दर्योकरण व श्री शकेश विष्ट की मकान तक मार्ग निर्माण	3.55	18000.00	45.16GST	2 माह	45 दिन
3	प्राठविं गोपेश्वर से श्री उदय सिंह खेत्री की मकान तक मार्ग निर्माण	2.77	14000.00	50.16GST	2 माह	45 दिन

निविदा की शर्त :- 1- निविदा उर्ही फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति को बेची जायेगी जो उल्लिखित कार्य की निविदा के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि प्रस्तुत करेगा।

- 2- धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र /एफ0डी0आर० जो वर्ष 2013-14 के बाद एवं वर्ष 2017-18 की हो जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर के नाम बन्धक हो वह निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- बिना धरोहर धनराशि संलग्न किये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार व्यापार कर, आयकर, रायलटी एवं अन्य कर कटौतियों ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।
- 6- निविदा के साथ ₹0- 100.00 के नाम ज्यूडिशियल रिकाम्प पेपर लगाना आवश्यक होगा।
- 7- निविदाये दो भागों गे जमा की जायेगी। एक बन्द लिफाफा तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा (Financial Bid) का होगा। पहले तकनीकी निविदा का लिफाफा खोला जायेगा एवं जिन कम्पनियों/ फर्मों/ व्यक्तियों की समस्त शर्त पूर्ण होगी, केवल उन्हीं की वित्तीय निविदा हितीय चरण में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। निविदा की दर में सभी कर/ टैक्स समिलित होंगे। लिफाफो पर तकनीकी/ वित्तीय निविदा ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम लिखा होना अनिवार्य है।
- 8- निविदादाता को निविदा शर्त को पढ़ एवं समझकर निविदापत्र भरना होगा। यदि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किसी भी कार्यालय नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 9- निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार, अध्यक्ष, निविदा समिति / क्रय समिति नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर में निहित होंगे। किसी भी निविदा/ सभी निविदाओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष निविदा समिति का निर्णय अनिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा समिति के मार्गे जाने पर निविदा दाता को मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करने होंगे।
- 10- निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन करना निषेध है। ऐसा होने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदायें अस्वीकृत की जा सकती हैं।
- 11- निविदा स्वीकृति की सूचना के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा। ऐसा न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 12- निविदा स्वीकृत होने उपरान्त निविदादाता को 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि पर अनुबन्ध करना होगा तथा अनुबन्धपत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध के प्राधानों के अनुसार भारतीय वण्ड रहित व सुसगत आवश्यक नियन्त्रण आदेशों के अधीन वैधनिक कार्ययाही की जायेगी।
- 13- कार्य आदेश होने पर यदि निविदादाता निर्धारित समय में कार्य करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूति निविदादाता को करनी होगी।
- 14- कार्य के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की क्षति विभाग को होती है तो इसका हर्जाना सम्बन्धित ठेकेदार को देना होगा।
- 15- ठेके के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी सामग्री तथा मजदूर परिवहन तथा स्टोर व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। यह सम्पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

अधिशासी अधिकारी

अध्यक्ष